प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा।

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोंकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 29/12/2020

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– ग्राम नेवरा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के भाई खींयाराम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1001/2 रकबा 31 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के भाई खींयाराम का देहान्त हो चुका है। उपरोक्त भूमि पूर्व में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज थी जिसका खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किया गया तथा विभाजन अनुसार ही सभी खातेदारान मौके पर काबिज है तथा प्रार्थीगण के अलग–अलग रहवासीय पक्के मकान बने हुए है। नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1001 सामलाती दर्ज है परन्तु वर्तमान में सरकार द्वारा खातेदारी भूमि की ऑनलाईन तरमीम दर्ज की गई जिसमें उक्त भूमि की तरमीम करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश ऑनलाईन नक्शे में मौके के विपरीत तरमीम कर दी गई। जहां पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा रहवासीय ढाणियां बनी हुई है वहां पर नक्शे में अन्य खसरा नम्बर दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार खसरा नम्बर 1001 के सभी बट्टा नम्बरों की गलत तरमीम हो गई है। प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में की गई गलत तरमीम को शुद्ध दर्ज की जाती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण व उनके भाई खींयाराम की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1001/2 रकबा 31 बीघा व मूल खसरा नम्बर 1001 ग्राम नेवरा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर बाबत् मौके पर कब्जा काश्त व नजरी

Scanned with CamScanner

नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी नेवरा से जांच रिपोर्ट मंगवाकर जांच रिपोर्ट अनुसार जवाब प्रस्तुत किया गया पटवारी की जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि ग्राम नेवरा के खसरा नम्बर 1001/2 रकबा 31 बीघा में प्रार्थीगण खुमाराम वगैरह की भूमि आती है। उपरोक्त भूमि पूर्व में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज थी जिसका खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किया गया तथा उपरोक्त अनुसार ही सभी खातेदारान मौके पर काबिज है तथा प्रार्थीगण के अलग–अलग रहवासीय पक्के मकान बने हुए है। उक्त खसरे का मौके अनुसार व ऑनलाईन तरमीम अनुसार मिलान नहीं हो रहा है तथा जांच रिपोर्ट के साथ नजरिया नक्शा प्रस्तुत किया गया हो। जो शामिल पत्रावली किया गया।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के मौके व ऑनलाईन तरमीम में अन्तर है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1001/2 रकबा 31 बीघा मौजा ग्राम नेवरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर व मूल खसरा नम्बर 1001 व इसके अन्य बट्टा नम्बरों बाबत् ऑनलाईन की गई तरमीम निरस्त की जाकर अप्रार्थी के जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शे व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नये सिरे से तरमीम किये का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 29/12/202 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner